भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 102

गुरूवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

कारखाने में सुरक्षा के एकसमान मानक

102 डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, रसायन कारखानों में पुराने हो चुके पात्रों और उपकरणों को उनकी प्रमाणित सुरक्षित सेवा अवधि पूरी होने के बाद आवधिक आधार पर बदलने के लिए अनिवार्य मानक लागू करने का प्रस्ताव रखता है;

(ख) क्या सरकार ने कारखाना लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए तृतीय-पक्ष सुरक्षा लेखापरीक्षा की विश्वसनीयता की समीक्षा की है;

(ग) क्या त्रुटिपूर्ण प्रमाणीकरण की वजह से जानलेवा औद्योगिक दुर्घटनाएं होने के मामलों में तृतीय-पक्ष सुरक्षा लेखापरीक्षकों के संबंध में कोई सांविधिक सिविल या अपराधिक जवाबदेही निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या सरकार एकसमान सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एकसमान राष्ट्रीय कारखाना सुरक्षा नीति बनाने का प्रस्ताव करती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कामगारों के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं।

जारी/-2

इसके अलावा, कारखाना अधिनियम, 1948 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता (ओएसएच और डब्ल्यूसी), 2020 में शामिल कर दिया गया है। ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता 2020 दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गया है। रासायनिक कारखानों में पुराने वेसल्स और उपकरणों को उनके प्रमाणित सुरक्षित अवधि के पूरा होने के बाद उनके प्रतिस्थापन को अनिवार्य करना कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) की गतिविधियों के कार्यक्षेत्र और दायरे से बाहर है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता, 2020 में समुचित सरकार द्वारा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने के लिए एक "योजना" प्रदान करने के लिए 'थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन' की परिकल्पना की गई है। ऐसे विशेषज्ञों को संबंधित नियोक्ता और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ सुरक्षा लेखा-परीक्षा और प्रमाणन करने के लिए वेब-आधारित योजना के माध्यम से यादृच्छिक तरीके से तृतीय पक्ष का ऑडिट और प्रमाणन सौंपा जाएगा। ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अंतर्गत, ऐसे अपराधों के लिए दंड और सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान हैं, जिससे दुर्घटना होती है। संहिता में केंद्र सरकार को कारखानों सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए कार्यस्थल के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एक-समान मानकों को अधिसूचित करने का भी अधिकार दिया गया है।

*****